

राजस्थान 2021–21: तीव्र आर्थिक वृद्धि की आशा पर टिका बजट

जैसा कि हम जानते हैं देश में कोरोना संकट ने भारी तबाही मचाई है और राजस्थान भी इससे अछुता नहीं है। राज्य बजट के साथ जारी किये गये राज्य की आर्थिक समिक्षा में दिये गये आंकड़ों से राज्य में कोरोना संकट द्वारा की गई तबाही का अन्दाज़ा लगता है। कोरोना काल में आई आर्थिक मंदी से राजस्थान भी प्रभावित हुआ है। आर्थिक समिक्षा के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021–21 में पिछले वर्ष के मुकाबले 6.61 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में आई 7.7 प्रतिशत की गिरावट से फिर भी बेहतर है। राज्य अर्थव्यवस्था में केवल कृषि ही एक क्षेत्र है, जिसमें 3.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उद्योग में 7.5 प्रतिशत और सेवाओं में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है। जाहिर है इस कारण राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है। 2019–20 में स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 78,390 रुपये थी जो वर्ष 2020–21 में 72,297 रुपये रह गई है प्रचलित कीमतों पर भी राज्य के नागरिकों की औसत वार्षिक आय 1.15 लाख रुपये से घटकर 1.09 लाख रुपये हो गई है। अगर बेरोजगारी की बात करें तो CMIE के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह बेरोजगारी की दर 17.7 प्रतिशत है जो देशभर में 6.9 प्रतिशत की बेरोजगारी की दर से बहुत अधिक है।

ऐसी स्थिति में जब आर्थिक गिरावट से राज्य की आय में भारी कमी हुई है, ऐसा बजट पेश करना एक मुश्किल काम है जिसे संतुलित बजट कहा जा सके और समाज के सभी तबकों को संतुष्ट किया जा सके। राजस्थान सरकार का वर्ष 2021–22 का बजट मुख्यमंत्री महोदय के शब्दों में कहें तो 'जादूगर का जादू' है। सरकार ने बजट में राज्य के सभी महत्वपूर्ण वर्गों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबको खुश करने की कोशिश है। एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं, वहीं छोटे व्यापारियों, फेरीवालों, सेवा क्षेत्र के छोटे कारीबारियों के लिये भी घोषणाएं हुई हैं। किसानों के लिये अगले वर्ष से अलग कृषि बजट लाने, कृषि कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने,



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

जोधपुर में ज्योतिबा फूले कृषि उपज मण्डी स्थापित करने, खेती हेतु बिजली वितरण के लिये नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणाएं की गई।

कोरोना संकट ने हमारे स्वास्थ्य ढांचे की विफलताओं को उजागर किया है। मुख्यमंत्री महोदय ने बजट पेश करते हुए राजस्थान 'मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ' लागू करने और स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने की घोषणा करने के साथ ही यूनीवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिये जाने की घोषणा भी की है। कोरोना संकट से जुझ रहे 33 लाख गरीबों, निराश्रितों व मजदूर परिवारों को पहले दिये गये 3500 रुपये के अलावा 1000 रुपये की सहायता राशि पुनः उपलब्ध करवाने की घोषणा भी की गई। मनरेगा के तहत सहारिया, कथौड़ी जनजाति और विशेष योग्य जन श्रमिकों को 200 दिन रोजगार दिये जाने की भी घोषणा हुई।

लेकिन राज्य में फिलहाल मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। प्रदेश में नई भर्तियों के अलावा, राज्य में नई औद्योगिक क्षेत्र बनाने सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के लिये नई नीति लाने जैसी घोषणाएं भी हुई हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अगले वर्ष 10 हजार लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपए की ब्याज सबसिडी दिये जाने का प्रस्ताव है जो औसत रूप से मात्र 5000 रुपए प्रति उद्यमी होता है। साथ ही स्टार्टअप के लिये बिना शर्त 5 लाख रुपए प्रति स्टार्ट अप सहायता राशि की भी घोषणा की गई है। साथ ही शहरी क्षेत्र के फेरीवालों, सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध करवा कर 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई है।

बुनकारों एवं अन्य शिल्पकारों के लिये जयपुर हाट बनाने, एवं कार्डधारी बुनकारों के 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने जैसी घोषणाएं भी हुई हैं। समाज के कमजोर वर्ग के युवाओं के लिये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की जायेगी जिसमें प्रतिवर्ष 5-5 हजार



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

छात्र/छात्राओं को 11वीं-12वीं में प्रोफेशनल कौचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी करवायी जायेगी। आशा है ये घोषणाएं बेरोजगारी को कुछ हद तक कम करेंगी।

अनु. जाति, जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिये राजस्थान पैटर्न की घोषणा और राजस्थान अनुजाति जनजाति विकास कानून बनाने की घोषणा भी की गई है। विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जातियों के लिये नीति बनाने और 50 करोड़ रूपए के कोष की घोषणा की गई है तथा DMT रिसर्च एण्ड प्रीजर्वेशन सेंटर की घोषणा भी की गई है।

इन सभी घोषणाओं के लिये महत्वपूर्ण है कि इनके लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाये। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सरकार के पास संसाधनों का अभाव है कोरोना संकट ने जनता ही नहीं सरकारों के राजस्व आय में भी भारी कमी ला दिया है। राज्य सरकार के वर्ष 2021-22 के राजस्व आय में भी 14.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है जबकि सरकार का कुल कर्ज लगभग 73 प्रतिशत बढ़ जाने का अनुमान है। नतीजे में राजकोषिय घाटा 33,922 करोड़ रूपए से बढ़कर 58,608 करोड़ रूपए हो जाने का अनुमान है। जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6.12 प्रतिशत होगा।

लेकिन इस सबके बावजूद सरकार के आगामी वर्ष के बजट में राजस्व आय 1.84 लाख करोड़ रूपए होने का अनुमान रखा है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 6 प्रतिशत अधिक है। इसमें अधिकांश बढ़ोतरी राज्य के स्वयं के कर में होने का अनुमान लगाया गया है क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी आई है।

सरकार ने आगामी वर्ष में बजट का आकार भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 250 करोड़ रूपए का रखा है, जो इस वर्ष के संशाधित बजट अनुमान के लगभग बराबर है। प्रश्न यह है कि क्या ये आंकड़े वास्तविकता के करीब हैं। राज्य सरकार ने अपने मध्यकालिक राज्य वित्तीय विवरण में बताया है कि राजस्व आय के अनुमान वर्ष 2021-22 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मुल्यों पर 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा उसके अगले वर्ष (2022-23) में 11 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना पर आधारित हैं। जाहिर है सब कुछ इस आशा पर टिका है कि राज्य में



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

इस वर्ष अति तीव्र आर्थिक वृद्धि होगी। अगर ऐसा होता है तो सरकार के पास बजट की घोषणाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिये धन उपलब्ध होगा लेकिन अगर आर्थिक वृद्धि उतनी नहीं होती है तो सरकार का राजस्व संग्रह में कमी होगी और बजट घोषणाओं को वित्त उपलब्ध करवाना मुश्किल हो जायेगा।



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

राज्य बजट 2021–22 एवं सामाजिक क्षेत्र: एक अवलोकन

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 फरवरी 2021 को आगामी वित्त वर्ष 2021–22 के लिये राज्य बजट पेश किया गया। इस बजट में सरकार ने करीब 2,50,832.02 करोड़ रु. की आय होना अनुमानित किया है। जबकि 2,50,747.33 करोड़ रु. खर्च किये जाने का अनुमान प्रस्तावित किया है। अतः इस लिहाज से यह बजट लगभग 84.69 करोड़ का सरप्लस बजट है।

गौरतलब है कि इस साल कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सामाजिक एवं आर्थिक पैमानों पर बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुये हैं। ऐसों में आशा थी कि बजट का मुख्य जोर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खाद्य सुरक्षा तथा रोजगार एवं आजीविका संबंधी मुद्दों पर रहेगा। हालांकि बजट में कुछ हद तक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिये जाने का प्रयास किया गया है। सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत कुल बजट आवंटन को देखा जाये तो वर्ष 2021–22 के लिये करीब 99244 करोड़ रु. व्यय किया जाना प्रस्तावित है जो कुल राज्य बजट का करीब 39.6 प्रतिशत है, जबकि चालु वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित बजट में यह 38 प्रतिशत था। इस लिहाज से देखा जाये तो सामाजिक सेवाओं के बजट में कोई विशेष बढोतरी नहीं हुई है। हालांकि वर्ष 2021–22 के बजट अनुमान में चालु वर्ष 2020–21 बजट अनुमान के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत बढ़ा है।

इस साल बजट में कोविड महामारी के परिणामस्वरूप प्रभावित हुये परिवारों को राहत प्रदान करने के लिये विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की है जिसके अंतर्गत पूर्व में चयनित 33 लाख असहाय, निराश्रित एवं मजदूर परिवारों को 1000 रु. की सहायता दो दिशतों में प्रदान किये जाने की घोषणा की है। लेकिन कोविड महामारी के परिणामस्वरूप बड़ी तादात में लोगों की आजीविका एवं रोजगार के संसाधन समाप्त हो गये हैं। ऐसे में रोजगार एवं आजीविका के लिहाज से विशेष याजनाओं के साथ बजट प्रस्ताव किये जाने काफी महत्वपूर्ण रहते। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

अधिनियम-मनरेगा के अंतर्गत सहरिया, कथौड़ी जनजाति एवं विशेषयोग्यजन श्रमिकों को 100 के बजाय 200 दिवस का रोजगार प्रदान किये जाने की घोषणा की है लेकिन ऐसे में यदि सभी परिवारों को कम से कम 200 दिन का रोजगार प्रदान करने की घोषणा किया जाना काफी महत्वपूर्ण रहता। इसके अलावा मनरेगा के बजट को देखा जाये तो वर्ष 2021-22 के 2539.44 करोड़ रु. प्रस्तावित किया है, जबकि चालु वित्त वर्ष 2020-21 में यह 1988 करोड़ रु. था। अतः मनरेगा का बजट चालु वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में 551 करोड़ रु. बढ़ाया गया है। यह केवल महानरेगा योजना के अन्तर्गत सामग्री मद का बजट है, जबकि श्रमिक-मजदूरी भुगतान सीधे केन्द्र से किया जाता है। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण होता कि देश के अन्य राज्यों (ओडिशा, हिमाचल प्रदेश एवं झारखंड आदि) की तरह राजस्थान में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों हेतु शहरी रोजगार गारंटी योजना चालु की जाती।

शिक्षा हेतु कुल बजट आवंटन को देखें तो वर्ष 2021-22 के लिये कुल 44309 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जो चालु वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से 10.7 प्रतिशत अधिक है। हालांकि कोविड महामारी के दौरान उभरी परिस्थितियों के मद्देनजर ऑनलाईन एवं डीजिटल शिक्षा की दृष्टि से बजट में राज्य के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट टीवी एवं सेट टॉप-बॉक्स उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। विद्यार्थियों को निःशुल्क युनिफॉर्म एवं कीताबें दिये जाने की भी घोषणा की गयी है। इसके अलावा राज्य में 5000 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों एवं कस्बों में आगामी 2 वर्षों में 1200 नये महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय आरंभ करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि इस साल लॉकडाउन के परिवणामस्वरुप बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एवं शिक्षा की गुणवत्ता में कमी के साथ बड़ी तादात में बच्चे विद्यालय से वंचित एवं ड्रॉप-आउट हुये हैं। ऐसे में यदि अध्यापकों एवं बच्चों के लिये डीजिटल प्रशिक्षण के साथ स्कूलों से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये सर्वे हेतु "चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम" की प्रक्रिया शुरु किया जाना अति महत्वपूर्ण होता। शिक्षा क्षेत्र प्रमुख



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

योजना समग्र शिक्षा अभियान हेतु 2021-22 के लिये कुल 11620 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया गया है जो चालु वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से 719 करोड़ रु अधिक है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु वर्ष 2021-22 के लिये कुल 16269.35 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जो चालु वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान से 10.67 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख घोषणाओं को देखें तो 3500 करोड़ रु की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम चालु करने की घोषणा की है। जिससे अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रु का स्वास्थ्य बीमा व कैंशलेस इलाज मुहैया करवाया जायेगा। वहीं यदि भामाशाह स्वास्थ्य योजना का बजट देखें तो 2021-22 के लिये 1463 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जो चालु वर्ष के बजट अनुमान 1241.5 करोड़ रु से 222 करोड़ रु अधिक है। हालांकि 2020-21 के संशोधित अनुमान में इसमें भारी कटौती करके 491.5 करोड़ रु कर दिया गया है। इसी प्रकार निःशुल्क दवा योजना का बजट देखें तो 2021-22 के लिये 701 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जो चालु वर्ष के बजट अनुमान 619 करोड़ रु से 82 करोड़ रु अधिक है। वहीं निःशुल्क जांच योजना का बजट देखें तो 2021-22 के लिये 242 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जो चालु वर्ष के बजट अनुमान 318 करोड़ रु से कम है, अतः इस योजना के बजट में 76 करोड़ रु की कमी की गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 2021-22 के लिये 1817 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान यह में 2447.4 करोड़ रु है अतः इस लिहाज से इसके बजट में बहुत कमी की गयी है। इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु 2021-22 के लिये 65 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया है जबकि 2020-21 के बजट अनुमान यह में 61.7 करोड़ रु है अतः इस लिहाज से इसके बजट में करीब 3.7 करोड़ रु की बढ़ोतरी की गयी है।

वहीं पोषण संबंधी योजनाओं की बात करें तो कोविड महामारी के परिणामस्वरूप देश के अन्य राज्यों की तरही राजस्थान में भी पोषण संबंधी योजनाओं— मिड-डे-मिल, समं वित बाल



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)

विकास सेवाओं का क्रियांवयन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। मिड-डे-मिल योजना के बजट को देखें तो वर्ष 2021-22 के लिये कुल 1061.96 करोड़ रु के बजट की घोषणा की है। वर्ष 2021-22 के लिये समंवित बाल विकास सेवा (प्वै) हेतु 2549 करोड़ रु के बजट की घोषणा की है जो चालु वर्ष के बजट अनुमान से 409 करोड़ रु अधिक है। इसके अलावा राज्य में किशोरियों की तर्ज पर सभी महिलाओं का निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन मुहैया करवाने की भी घोषणा की गयी है। वहीं एम.एम. शुभ लक्ष्मी योजना हेतु 60 करोड़ रु का बजट प्रस्तावित किया गया है जो चालु वर्ष के बजट अनुमान से 11 करोड़ रु कम है।

समाज के पिछड़े, कमजोर एवं वंचित समुदायों की बात करें तो सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान पैटर्न की घोषणा की है जिसके अंतर्गत राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास कानून बनाया जायेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के समावेशी विकास हेतु प्रत्येक के लिये 100-100 करोड़ रु के विशेष विकास कोष बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिये 10 करोड़ रु का उत्थान कोष बनाने की घोषणा की है। वहीं घुमंतु समुदायों (क्छजे) के विकास लिये अलग नीति बनाने की भी घोषणा की गयी है तथा इनके विकास के लिये 50 करोड़ रु का कोष बनाने की घोषणा की गयी है।

अतः इस प्रकार देखा जाये तो सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिये सामाजिक क्षेत्र के कुल बजट में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि बजट में काफी लोक-लुभावन बजट घोषणाएं की गयी है लेकिन आने समय में देखना होगा कि ये वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर कितनी कारगर हो पाती हैं।



बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (बार्क) ट्रस्ट
(www.barctrust.org)